मेलों में भाग लेने वाले प्रकाशको के लिए नियम व शर्ते:

हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् स्थित पंचकुला द्वारा दिनांक 20.02.12 से 13.03.12 तक विभिन्न जिलों में पुस्तक मेले लगाये जाने की योजना है. इन मेलों में भाग लेने के लिए प्रतिष्ठित प्रकाशनों से 'अभिव्यक्ति की अभिरुचि' आमंत्रित की गयी है. इसी सन्दर्भ में विभाग द्वारा प्रकाशकों के लिए निम्नलिखित नियम व शर्तें बनाई गयी हैं. सभी प्रकाशकों से निवेदन है कि वे अपनी अभिरुचि भेजने से पूर्व इन नियमों व शर्तों का परीक्षण कर लें. पुस्तक मेले 20 फरवरी से प्रारंभ होंगे. यह मेले प्रत्येक जिला मुख्यालय पर दो-दो दिनों के लिए आयोजित किये जायेंगे. मेले एक साथ दो जिलों में आयोजित किये जायेंगे ताकि एक सप्ताह में छह जिलों में मेले आयोजित हो सकें.

1. अभिरुचि भेजने वाले प्रकाशक 'अनुलग्नक अ' (Annexure 'A') पर उन पुस्तकों की सूचनाएँ एक्सेल शीट (Excel Sheet) पर देंगे जिन्हें वे पुस्तक मेले के दौरान बिक्री हेतु प्रदर्शित करना चाहेंगे.

2. परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया है कि वह एक विभागीय समिति के माध्यम से प्रकाशकों द्वारा भेजी गयी पुस्तकों का निरीक्षण करे व देखे कि पुस्तकों की छपाई की गुणवत्ता कैसी है, पुस्तकों की पाठ्य सामग्री रुचिकर, शैक्षिक व चित्रात्मक शैली में है.

3. मेले में केवल अच्छे, ख्याति प्राप्त, सुप्रसिद्ध व प्रतिष्ठित प्रकाशनों व प्रकाशन घरों को शामिल किया जायेगा.

4. सभी इच्छुक प्रकाशक मेले में भागीदारी के लिए अपना पंजीकरण कराएँगे जिसके लिए वे 'हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद्' के नाम पंचकुला में देय कुल 1,00,000/- रूपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर अंतिम तिथि से पहले अभिव्यक्ति के प्रस्ताव के साथ दें. यह पंजीकरण शुल्क निर्धारित तिथि से पूर्व जमा न करने की दशा में प्रकाशन के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा.

5. प्रस्ताव में प्रकाशक/प्रकाशन स्पष्ट रूप से यह लिखेगा कि वह मेले के लिए सभी जिलों में भाग लेगा या कुछ चुने हुए जिलों में. यदि वह सभी जिलों में भाग नहीं लेना चाहता तो वह उन जिलों के नाम लिखेगा जहाँ वह अपनी भागीदारी करना चाहता है.

6. सभी प्रस्ताव देने वाले प्रकाशकों/प्रकाशनों को इन मेलों में भाग लेने के लिए कम से कम 25% छूट (डिस्काउंट) (अधिकतम खुदरा मूल्य पर) देना होगा. इसके अतिरिक्त वह 25 % से अधिक छूट देने के लिए स्वतन्त्र होगा. प्रकाशकों/प्रकाशनों को पुस्तकों की सूची के साथ ही प्रत्येक पुस्तक के साथ छूट का प्रतिशत भी देना होगा. प्रकाशकों/प्रकाशनों से अनुरोध है कि वे प्रत्येक पुस्तक पर छूट अधिक से अधिक दें. एक बार प्रस्ताव के साथ छूट का आंकड़ा देने पर उसमें बदलाव करने का प्रस्ताव किसी भी रूप में माना नहीं जायेगा. मेले के दौरान पुस्तकों के मूल्य के ऊपर छूट को घटाया या बढाया नहीं जायेगा.

Rashmi

7. मेले में भाग लेने वाले प्रकाशनों/प्रकाशकों को कुल 2000 रूपये (प्रत्येक जिले के लिए) अग्रिम रूप से सम्बंधित जिला परियोजना समन्वयक (DPC) को टेंट इत्यादि सामान की व्यवस्था दो दिनों के लिए करने के लिए देना होगा.

8. प्रकाशक/प्रकाशन मेले के दौरान पुस्तकों को सुनियोजित व व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करेंगे. वे पुस्तकों को तीन वर्गों - प्राथमिक (प्राइमरी), माध्यमिक (अपर प्राइमरी) व उच्च (हाई) में प्रदर्शित करेंगे. इनमें केवल वे ही पुस्तकें रखी व प्रदर्शित की जायेंगी जिन्हें परिषद् द्वारा इन मेलों में रखने व प्रदर्शित करने के लिए समिति के माध्यम से चयनित किया गया है. इन सभी पुस्तकों पर परिषद् की और से एक 3 डी होलोग्राम चिपकाया जायेगा. प्रकाशक/प्रकाशन केवल ऐसी पुस्तकों को ही प्रदर्शित करेगा जिन पर 3 डी होलोग्राम लगा हो.

9. इन मेलों में भाग लेने के इच्छुक प्रकाशक/प्रकाशन पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2008 -09 , 2009 -10 व 2010 -11) की आयकर वापसी विवरणी (Income Tax Return Details),वर्ष 2010–2011 की बैलेंस शीट एवं नोटरी के द्वारा सत्यापित शपथ पत्र कि उनकी फर्म वर्ष 2009–2010 तथा 2010–2011 में पुस्ताको के प्रकाशन के व्यापार में थी, प्रस्ताव के साथ जमा कराएँगे.

10. मेले में किसी फुटकर विक्रेता या बिचोलिये या एजेंट के शामिल होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है. यदि यह स्थापित होता है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तिओं के समूह द्वारा जालसाजी कर या दस्तावेजों में हेराफेरी कर या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर प्रस्ताव दिया है या मेले में शामिल हो गया है, ऐसी दशा में परिषद् दोषी व्यक्ति या व्यक्तिओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करायेगी.

इसके अलावा अनिवार्य या वैकल्पिक रूप से प्रकाशन/प्रकाशक द्वारा परिषद् को जमा कराई गयी सुरक्षा शुल्क (सिक्योरिटी) या/व पंजीकरण शुल्क जब्त कर ली जायेगी. साथ ही ऐसे प्रकाशनों/प्रकाशकों को भविष्य में पूर्ण या आंशिक रूप से शामिल होने पर पाबन्दी लगा दी जायेगी.

11 सभी प्रकाशनों/प्रकाशकों को मेलों के दौरान स्कूलों के लिए पुस्तकों की आपूर्ति (supply) करने की मांग प्राप्त होने के बाद 45 दिनों के अन्दर अन्दर सभी सम्बंधित पुस्तकें निर्धारित स्कूलों में पहुंचानी होंगी. पहुंचाई गयी पुस्तकों की अदायगी सम्बंधित स्कूल के प्रबंधन समिति के मुखिया व स्कूल प्रभारी द्वारा चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से की जायेगी. मांग की गयी पुस्तकों को सम्बंधित स्कूलों में निर्धारित समय में न पहुंचा पाने के स्थिति में प्रकाशन/प्रकाशक द्वारा परिषद् को जमा कराई गयी सुरक्षा शुल्क (सिक्योरिटी) या/व पंजीकरण शुल्क जब्त कर ली जायेगी. साथ ही ऐसे प्रकाशनों/प्रकाशकों को भविष्य में पूर्ण या आंशिक रूप से शामिल होने पर पाबन्दी लगा दी जायेगी.

12. यदि कोई प्रकाशन/प्रकाशक मेले के दौरान या पहले या बाद में किसी अनैतिक व्यापार या लेनदेन या भ्रष्टाचार या अनाचार या अवांछित गतिविधिओं में संलिप्त पाया गया तो उसे तुरंत प्रभाव से मेले में भाग लेने से रोक दिया जायेगा जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा. इसके अलावा अनिवार्य या वैकल्पिक रूप से प्रकाशन/प्रकाशक द्वारा परिषद्

को जमा कराई गयी सुरक्षा शुल्क (सिक्योरिटी) या/व पंजीकरण शुल्क जब्त कर ली जायेगी. साथ ही ऐसे प्रकाशनों/प्रकाशकों को भविष्य में पूर्ण या आंशिक रूप से शामिल होने पर पाबन्दी लगा दी जायेगी.

13.आयोजक यानि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् पुस्तक मेलों के बारे में किसी भी प्रकार का बदलाव करने या प्रकाशनों/प्रकाशकों से सम्बंधित नियम या शर्तों में परिवर्तन करने के अधिकार को अक्षुण व आरक्षित रखता है ।

14. मेले में प्राथमिक वर्ग, माध्यमिक वर्ग, उच्च वर्ग तथा वरिष्ठ माध्यमिक वर्ग के विद्यार्थी भाग लेंगे जो विभिन्न स्कूलों से आयेंगे। विद्यार्थी मेले में लगे स्टॉलों पर जाकर पुस्तकें देखेंगे व अपनी पंसद की पुस्तक चयन कर उसे मेले के बीच में बने मंच पर रखेंगे । इस प्रकार के चार मंच बनाये जायेंगे । एक मंच पर प्राइमरी की पुस्तकें, दूसरे पर मिडिल व तीसरे पर हाई तथा चौथे पर वरिष्ठ माध्यमिक वर्ग की पुस्तकें रखी जायेंगी । उसके उपरांत प्रत्येक स्कूल के बच्चे अपने स्कूल के लिये इस मंच से पुस्तकें चुनेगा । यदि किसी स्कूल से बच्चे नहीं आते हैं तो अन्य स्कूल के बच्चे (उसी वर्ग के) उस स्कूल के लिये पुस्तकें चुनेंगे

इस प्रकार जो पुस्तकें चुनीं जायेंगी, उन्हें संबंधित ए.बी.आर.सी. को लिखवा दिया जायेगा । इसके उपरांत व संबंधित स्कूलों में जाकर संबंधित प्रकाशनों/प्रकाशकों को पुस्तकों की मांग का आदेश, जोकि विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व सचिव के हस्ताक्षर सहित होगा, प्रदान किया जायेगा ।

इन मांग आदेशों के अनुसार सभी संबंधित प्रकाशन/प्रकाशक संबंधित स्कूलों को वांछित पुस्तकें उपलब्ध करायेंगे। उसके उपरांत पुस्तकों की प्राप्ति होने पर संबंधित स्कूल द्वारा चैक या ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित प्रकाशन/प्रकाशक को की जायेगी ।

15 सभी प्रकाशन एवं प्रकाशक धरोहर राशि के साथ अपनी बोली दिनांक 15.2.2012 सांय 5 बजे तक कार्यालय के दिए गए पते पर व्यक्तिगत या पत्राचार के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। दिनांक 8.2.2012 को पूर्व बोली बैठक का आयोजन किसान भवन सैक्टर–14 पंचकूला में दोपहर बाद 3 बजे किया जाना है ।

HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD

पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों के आयोजन का कार्यक्रम

क्रमांक	जिले का नाम	दिनांक
1	पंचकुला	20 - 21 फरवरी
2	यमुनानगर व अम्बाला	22 - 23 फरवरी
3	कुरुक्षेत्र व कैथल	24 - 25 फरवरी
4	करनाल व पानीपत	27 - 28 फरवरी
5	सोनीपत व रोहतक	29 फरवरी - 01 मार्च
6	जींद व हिसार	2 - 3 मार्च
7	फतेहाबाद व सिरसा	5 - 6 मार्च
8	भिवानी व महेंद्रगढ़	7 - 8 मार्च
9	झज्जर व रेवाड़ी	9 - 10 मार्च
10	गुडगाँव, मेवात व फरीदाबाद पलवल	12 - 13 मार्च

2/2/12